कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

दिनांकः 18 मार्च, 2017

विज्ञप्ति/इश्तहार नीलाम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलैक्ट्रेट परिसर स्थित (कोषागार के सामन), राजस्व कैन्टिन,(अधिवक्ताओ के चैम्बर के पास) की दुकान किराये एंव पार्किंग स्टैण्ड (मुख्य द्वार के पास चिहिन्त स्थान) के ठेके की नीलामी वित्तीय वर्ष 2017–18 (01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) के लिए दिनांक 25-3-17 को अपरान्हन 2.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष सं0 15 में की जायेगी। अतः जो भी व्यक्ति ठेके लेने के इच्छुक हो वह नियत तिथि व समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर दुकानो व साईकिल स्टैण्ड की बोली लगाना सुनिश्चित करे। उक्त दुकानों व साईकित स्टैण्ड के ठेके की शर्ते निम्नवत हैः–

1– नीलामी में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को कोषागार के सामने नवनिर्मित दुकानों के लिए धरोहर राशि अंकन 25,000/–रू0 (पच्चीस हजार रू0), राजस्व कैन्टिन (अधिवक्ताओं के चैम्बर के पास) की दुकानों के लिए अंकन 10,000/–रू0(दस हजार रू0) एंव पार्किंग स्टैण्ड ठेके के लिए अंकन रू0 1,00,000/–(एक लाख रू0) जमा करनी होगी।

2– नीलामी के समय प्रत्येक बोलीदाता को अपना स्वंय का चरित्र प्रमण पत्र,हैसियत प्रमाण पत्र एंव निवास प्रमाण पत्र (फोटो पहचान पत्र) प्रस्तुत करना होगा।

3– अधिकतम बोलीदाता को नीलाम की धनराशि नीलाम स्वीकृति के तत्काल बाद अथवा अगले दिन प्रत्येक दशा में जमा करनी होगी अन्यथा नीलाम रददमानकर धरोहर राशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी ।

4– नीलाम जिस व्यक्ति के पक्ष में छुटेगा, उसे दुकानों अथवा पार्किंग स्टैण्ड के ठेके में परिर्वतन/परिवर्धन करने का अधिकार नहीं होगा।

5– नीलाम स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकारी जिलाधिकारी महोदय में निहित होगा ।

6– अधिकतम बोलीदाता को नीलाम स्वीकृत होने के पश्चात अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा , जिसका व्यय भार अधिकतम बोलीदाता को स्वंय वहन करना होगा ।

7– अधिकतम बोलीदाता को नीलाम स्वीकृत होने के पश्चात किसी अन्य को हस्तान्तरित अथवा विक्रय करने का अथवा किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा ।

8– विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बुलन्दशहर रहेगा।

9– जिलाधिकारी महोदय को उक्त दुकानों एंव पार्किंग स्टैण्ड के ठेको को किसी भी समय बिना बतायें अथवा बिना नोटिस दिये निरस्त करने का अधिकार होगा ।

10– बोलीदाता जिस प्रयोजन (दुकानों एंव पार्किंग स्टैण्ड) हेतु नीलाम लेगा। वह उसी प्रायोजन को करेग

(राम गोपाल)
नगर मजिस्ट्रेट/
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
बुलन्दशहर ।

संख्या 962 /नाजिर सदर तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– मुख्य विकास अधिकारी ,बुलन्दशहर ।

2– समस्त तहसीलदार ,जनपद बुलन्दशहर ।

3– जिला सूचना अधिकारी ,बुलन्दशहर को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

4– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, बुलन्दशहर।

5– सम्पादक, दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र, बुलन्दशहर को इस आशय से भेजी जा रहीं है कि उक्त विज्ञाप्ति का समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर, उसकी प्रति मय बिल सहित नजारत अधिष्ठान कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

6– श्री एम0पी0 सिंह, जिला विज्ञान अधिकारी ,एन0आई0सी0, बुलनदशहर को इस आशय से कि वह जनपद की वैबसाईड पर अप लोड करना सुनिश्चित करें ।

7– नाजिर सदर कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

नगर मजिस्ट्रेट/
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
बुलन्दशहर ।